

तारीख
हुयम

हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24-10-19

वकील उमयपत्त उपरिष्ठ उमयपत्त
स्वय उपरिष्ठ स्वय में डिगळ 146-2017
के प्रकृत राजीनाम पर नसरीक नही
होन पर आज उमयपत्त स्वय उपरिष्ठ
होकर राजीनाम के रबीकार करत हए
पुनः राजीनाम पर दस्तावर किसे जो
राजीनाम नसरीक किमा जात है
पत्रवली वास्तु जबाब स्टेट डिगळ
14-11-19 के पेश है।

Arshdeep Singh
9899000000

नरेन्द्रपाल सिंह
Narenderpal Singh
1324
AR

14-11-19 वकील उमयपत्त उपरिष्ठ जबाबस्टेट
पेश हुआ शामिल पत्रवली किमा गया
पत्रकारान के राजीनाम होन से बहस
सुनी गई बहस पर भवन किमा गया
पत्रवली का अवलीकन किमा बाद
अवलीकन बाद वादी मुताबिक राजीनाम
होकर किमा जाकर विस्तृत नोटिस
पुनः से लिखा जाकर सुले न्यायालय
में सुनाया गया। नियमानुसार स्टाम्प पेश
होन पर डिक्ली जारी है। पत्रवली नम्बर
से करत होकर बाद तत्कालीन शरितला
दफतर है।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ए
ठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर।

जस्व वाद संख्या :- 246/2017
1. अर्शदीप पुत्र श्री नरेन्द्रपाल सिंह
तहसील हनुमानगढ़।

1. नरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री ज
जंक्शन।
2. नवप्रीत कौर पुत्री श्री नरेन्द्र
जंक्शन
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानग

दावा अन्तर्गत धारा 88, 5
-:: उप

1. श्री रामकुमार बिश्नोई अधि
2. श्री अनिल शर्मा अधिवक्ता
3. राज पैरोकार

वादी द्वारा प्रतिवादी संख
ए. के तहत इस न्यायालय में प्र
1. नरेन्द्रपाल सिंह, वादी व प्रति
खाता संख्या 112/95 मे ताद
तादादी 1.025 है। दोनो खातो
दर्ज है। उक्त भूमि संयुक्त हि
खरीद की हुई खातेदारी कृ
परिवार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज
चक नम्बर 2 के.एनः
नम्बर 1, 2, पत्थर नम्बर 11
किला नम्बर 4 से 7, 14 से
पत्थर नम्बर 113/266 (73
नम्बर 4 तादादी 6.894 है
113/262 (44) किला नम्
4/1, 5, 6, 7, 7/1, 14
पालसिंह का 1/2 हिस्सा
नकल जमाबन्दी सम्वत् 2
वाद पत्र की चर
जिसमे वाद का प्रतिवादी
हिस्सा की घोषणा करव

र
र
र

3
(राजस्व वाद संख्या :- 246/2017 अनवान अर्शदीप बनाम नरेन्द्रपालसिंह)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 246/2017

1 अर्शदीप पुत्र श्री नरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी खुन्जा हनुमानगढ़ जंक्शन
तहसील हनुमानगढ़। -- वादी

--: बनाम :-

- 1 नरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री जलौर सिंह जाति जटसिख निवासी खुन्जा हनुमानगढ़ जंक्शन।
- 2 नवप्रीत कौर पुत्री श्री नरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी खुन्जा हनुमानगढ़ जंक्शन -- प्रतिवादीगण
- 3 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

--: उपस्थित अभिभाषकगण :-

1. श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता वादी
2. श्री अनिल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. राज पैरोकार प्रतिवादी संख्या 3

--: निर्णय :-

दिनांक :- 14-11-2019

वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 नरेन्द्रपाल सिंह, वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता है। जिनके नाम से चक 2 के.एन.जे. खाता संख्या 112/95 मे तादादी 6.894 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 113/96 मे तादादी 1.025 है। दोनो खातो की कुल 7.919 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जदी जायदाद व जदी जायदाद की आय से खरीद की हुई खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता संयुक्त हिन्दु परिवार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। तफसील आराजी निम्न प्रकार से है :-

चक नम्बर 2 के.एन.जे. खाता संख्या 112/95 पत्थर नम्बर 113/262 (44) किला नम्बर 1, 2, पत्थर नम्बर 111/264 (63) किला नम्बर 24, 25, पत्थर नम्बर 111/265 (70) किला नम्बर 4 से 7, 14 से 17, 24, 25, पत्थर नम्बर 112/265 (71) किला नम्बर 1 ता 10, पत्थर नम्बर 113/266 (73) किला नम्बर 14, 1, 17/2, पत्थर नम्बर 111/266 (75) किला नम्बर 4 तादादी 6.894 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाता संख्या 113/96 पत्थर नम्बर 113/262 (44) किला नम्बर 9/2, 10, 11, पत्थर नम्बर 112/262 (45) किला नम्बर 4, 4/1, 5, 6, 7, 7/1, 14, 15/1, 15/2 तादादी 2.049 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 नरेन्द्र पालसिंह का 1/2 हिस्सा यानि 1.025 हैक्टर। इस प्रकार दोनों खातों की कुल 7.919 हैक्टर नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 सलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जदी जायदाद है जिसमें वाद का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा है, व वादी अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवानेका अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अकेले प्रतिवादी

लगातार 2

क
राजस्व अधिकारी
ए. जयसिंग

संख्या 1 के नाम होने के कारण वादी के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व रकम राज आदि को लेकर पक्षकारों में विवाद रहता है इसलिए वादी अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अलग से अंकन करवाने का अधिकारी है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की ज़मीन जायदाद है। व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता संयुक्त हिन्दु परिवार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी घराघरू बंटवारा कर रखा है व मुताबिक घराघरू बंटवारा काबिज होकर काश्त कर रहे हैं परन्तु राजस्व रिकार्ड में समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहिन है, ने अपना समस्त हिस्सा पूर्व में ही वादी के पक्ष में तर्क कर दिया है। इसलिए वादी मुताबिक घराघरू बंटवारा काबिज होकर काश्त कर रहा है। व इसी अनुसार घोषणा करवाकर अलग से खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है। घराघरू बंटवारा वादी को निम्न भूमि प्राप्त हुई है :-

1. वादी अर्शदीप के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि :- चक नम्बर 2 के.एन.जे. खाता संख्या 112/95 पत्थर नम्बर 111/264 (63) किला नम्बर 24, 25, पत्थर नम्बर 111/265 (70) किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 पत्थर नम्बर 112/265 (71) किला नम्बर 1 ता 10, पत्थर नम्बर 111/266 (75) किला नम्बर 4 तादादी 5.519 हैक्टर।

वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि का वादी को घराघरू बंटवारा में प्राप्त हुई है। इसी घराघरू बंटवारा अनुसार वादी घोषणा करवाकर अलग से खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है। जिस हेतु वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार कहा पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा परन्तु 7 रोज पूर्व मुकाम हनुमानगढ खुन्जा में स्पष्ट इन्कार हो गया है यही वाद कारण है।

प्रतिवादी संख्या 3 को भू-धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। लिहाजा वाद वादी निम्न प्रकार से डिफ्री सादिर फरमाया जावे :-

- (क) वाके चक 2 के.एन.जे. खाता संख्या 112/95 पत्थर नम्बर 111/264 (63) किला नम्बर 24, 25 पत्थर नम्बर 111/265 (70) किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 पत्थर नम्बर 112/265 (71) किला नम्बर 1 ता 10 तादादी पत्थर नम्बर 111/266 (75) किला नम्बर 4 तादादी 5.819 हैक्टर का वादी को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे।

- (ख) वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित घराघरू विभाजन अनुसार वादी का खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग अलग कायम की जावे।

- (ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

- (घ) अन्य कोई अनुतोष नजदीक अदालत हाजा हो तो बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होने के कारण दिनांक 24.10.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढने समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।



वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपर्युक्त प्रकरण में पार्थी/वादी अर्शदीप का निवेदन है कि उक्त अनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों में बीच सुलह हो चुका कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

1. प्रतिवादी संख्या 1 नरेन्द्रपाल सिंह के नाम से वाके चक नम्बर 2 के.एन.जे. में खाता संख्या 112/95 व 113/96 में दर्ज कुल 7.919 हैक्टर में तथा वाके चक 2 के.एन.जे. खाता संख्या 112/95 पत्थर नम्बर 111/264 (63) किला नम्बर 24, 25 पत्थर नम्बर 111/265 (70) किला नम्बर 4, 7, 14 ता 17, 24, 25 पत्थर नम्बर 112/265 (71) किला नम्बर 1 ता 10 पत्थर नम्बर 111/266 (75) किला नम्बर 4 तादादी 5. 819 हैक्टर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता तकसीम किया जाये तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति एतराज नहीं है। हम अपनी सहमति देते हैं। पिता के नाम जो शेष भूमि बची है उसमें नवप्रीत कौर पुत्री नरेन्द्रपाल सिंह प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा शेष रहेगा तथा नरेन्द्रपाल सिंह प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी के नाम से इसी चक 2 के.एन.जे. में अलग से भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होने से प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरान बहस विद्वान अधिवक्तागणों ने वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करने हेतु निवेदन किया। इस सम्बन्ध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38-39-40-53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर. 1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता संख्या घड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221-22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पत्ति को भी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पत्ति की श्रेणी में आती है।

जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपने कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 नरेन्द्र पाल सिंह के नाम चक नम्बर 2 के.एन.जे. की 7.919 हैक्टर, भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जग्दी जायदाद स्वीकार होने के कारण वादी जो प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है, का पैतृक भूमि में हक हिस्सा होने से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:: आदेश ::—

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 नरेन्द्रपाल सिंह के नाम से वाके चक नम्बर 2 के.एन.जे. मे खाता संख्या 112/95 की 6.894 हैक्टर भूमि में से वादी अर्शदीप पुत्र नरेन्द्रपाल जाति जटसिख निवासी खुन्जा हनुमानगढ़ जक्शन तहसील हनुमानगढ़ को पत्थर नम्बर 111/264 (63) किला नम्बर 24, 25 पत्थर नम्बर 111/265 (70) किला नम्बर 4, 7, 14 ता 17, 24, 25 पत्थर नम्बर 112/265 (71) किला नम्बर 1 ता 10 पत्थर नम्बर 111/266 (75) किला नम्बर 4 तादादी 5.819 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 14-11-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 246/2017

1 अर्शदीप पुत्र श्री नरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी खुन्जा हनुमानगढ़ जंक्शन
तहसील हनुमानगढ़। -- वादी

--:: बनाम ::--

- 1 नरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री जलौर सिंह जाति जटसिख निवासी खुन्जा हनुमानगढ़ जंक्शन।
- 2 नवप्रीत कौर पुत्री श्री नरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी खुन्जा हनुमानगढ़ जंक्शन
- 3 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। -- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :- 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :-

वादी की और से श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की और से श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 20/11/19 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 नरेन्द्रपाल सिंह के नाम से वाके चक नम्बर 2 के.एन.जे. मे खाता संख्या 112/95 की 6.894 हैक्टर भूमि में से वादी अर्शदीप पुत्र नरेन्द्रपाल जाति जटसिख निवासी खुन्जा हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील हनुमानगढ़ को पत्थर नम्बर 111/264 (63) किला नम्बर 24, 25 पत्थर नम्बर 111/265 (70) किला नम्बर 4, 7, 14 ता 17, 24, 25 पत्थर नम्बर 112/265 (71) किला नम्बर 1 ता 10 पत्थर नम्बर 111/266 (75) किला नम्बर 4 तादादी 5.819 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 20/11/19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई मुहर



(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

--:: वाद के खर्चे ::--

Scanned by CamScanner

